राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 10(707) परि/स.सु./स.सु.बोर्ड/2015/21330 जयपुर, दिनांकः 27/9/16

प्रमुख शासन सचिव,
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– 2 अक्टूबर 2016 को पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर **सड़क सुरक्षा शपथ** बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि गत वर्ष 02.10.2015 को परिवहन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृहद् पैमाने पर सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया गया था तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में भी **सड़क सुरक्षा अभियान** अनवरत जारी रखने की आवश्यकता है। प्रयासों की निरन्तरता बनाए रखते हुए इस वर्ष भी परिवहन विभाग द्वारा अन्य हितधारक विभागों के सहयोग से पंचायत स्तर पर गांधी जयन्ती के अवसर पर दिनांक 02.10.2016 को प्रातः 11 बजे होने वाली ग्राम सभाओं में **सड़क सुरक्षा शपथ** दिलायी जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों की प्रति संलग्न है।

परिवहन विभाग चूंकि सड़क सुरक्षा हेतु राज्य का नोडल विभाग है अतः उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन की रिपोर्ट, फोटोज़ की सीडी/डीवीडी एवं समाचार पत्रों की कवरेज कटिंग संकलित करवाकर स्थानीय प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10.10.2016 तक परिवहन विभाग मुख्यालय भेजी जाएगी। आपसे आग्रह है कि पंचायती राज विभाग के संबंधित कर्मचारियों को इस आयोजन की सुनिश्चितता निर्धारित करने हेतु निर्देश जारी करें एवं जारी निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 10(707) परि/स.सु./स.सु.बोर्ड/2015/२१३२८ जयपुर, दिनांकः २७/९/१६

समस्त जिला परिवहन अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– 02.10.2016 को राज्यभर में ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा शपथ दिलवाये जाने बाबत

जैसा कि आप सबको विदित है कि गत वर्ष दिनांक 02.10.2015 को परिवहन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृहद् पैमाने पर 'सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान' चलाया गया था तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में भी **सड़क सुरक्षा अभियान** अनवरत जारी रखने की आवश्यकता है। प्रयासो की निरन्तरता बनाए रखते हुए इस वर्ष भी परिवहन विभाग द्वारा अन्य हितधारक विभागों के सहयोग से गांधी जयन्ती के अवसर पर दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं में माननीय मंत्री महोदय, परिवहन की ओर से **सड़क सुरक्षा शपथ** दिलाई जाएगी। इस संबंध में सड़क सुरक्षा शपथ प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। यह शपथपत्र आवश्यकतानुसार संख्या में आपके जिले की जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार की समस्त ग्राम पंचायतों को दिनांक 01.10.2016 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करा सकें।

आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपनी जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी समेत संबंधित अधिकारियों से संपर्क एवं समन्वय कर इस आयोजन की सुनिश्चितता निर्धारित करें तथा स्थानीय समाचार–पत्रों में भी आयोजन की जानकारी दें एवं समस्त ग्राम पंचायतों में होने वाले इस आयोजन की रिपोर्ट, फोटोज़ की सीडी/डीवीडी एवं समाचार पत्रों की कवरेज कटिंग पंचायतीराज के संबंधित अधिकारियों के माध्यम से संकलित करा मुख्यालय को 10.10.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाने की व्यवस्था करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प. 10(707) परि/स.सु./स.सु.बोर्ड/2015/२१३२९ जयपुर, दिनांकः २७/९/१६

प्रतिलिपि :– समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को उनके पर्यवेक्षण में अनुपालना सुनिश्चित कराने हेतु।

उप परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)

प्रिय ग्रामवासियों,

राम–राम

आपको गत वर्ष आपकी ही ग्राम पंचायत में वृहद स्तर पर हुए सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान के आयोजन का स्मरण होगा। आइये आप और हम मिलकर इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा शपथ लें और प्रण करें कि यातायात नियमों की पूर्ण पालना करेंगे और स्वयं तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखेंगे।

आपका अपना,
यूनुस खान
परिवहन मंत्री
राजस्थान सरकार

शपथ

आज दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 को गांधी जयन्ती के अवसर पर मैं संकल्प लेता/लेती हूं कि मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यातायात नियमों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा/ करूंगी। मैं सावधानी पूर्वक वाहन संचालन करते हुये सड़क पर एक दूसरे के जीवन की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में मैं घायलों की मदद करूंगा/करूंगी। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा/करूंगी तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी।

जय हिन्द !

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15( )पंरावि / विधि / ग्राम सभा / 2015 / 753 जयपुर, दिनांक – 30.09.2016

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त ।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त ।
3. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः–2 अक्टूबर, 2016 को पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा शपथ बाबत ।

गत वर्ष 02.10.2015 को परिवहन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृहद् पैमाने पर सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया गया था तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी **सड़क सुरक्षा अभियान** अनवरत जारी रखने की आवश्यकता है । प्रयासों की निरन्तरता बनाए रखते हुए इस वर्ष भी परिवर्तन विभाग द्वारा अन्य हितधारक विभागों के सहयोग से पंचायत स्तर गांधी जयन्ती के अवसर पर दिनांक 02.10.2016 को प्रातः 11 बजे होने वाली ग्राम संभाओं में **सड़क सुरक्षा शपथ** दिलायी जाएगी । इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों की प्रति संलग्न है ।

परिवहन विभाग चूंकि सड़क सुरक्षा हेतु राज्य का नोडल विभाग है । अतः उपरोक्त आयोजन की रिपोर्ट, फोटोज की सीडी / डीवीडी एवं समाचार पत्रों की कवरेज कैटिंग संकलित करवाकर स्थानीय प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10.10.2016 तक परिवहन विभाग मुख्यालय को भेजी जाएगी ।

अतः आपके जिले / पंचायत समितियों की समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर इस आयोजन की सुनिश्चित निर्धारित करावें ।

<u>संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।</u>

शासन उप सचिव(विधि)

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त को उनके पत्र क्रमांक पं.10(707) परि. / सं.सु / स.सु.बोर्ड / 2015 / 21330 दिनांक 29.9.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

शासन उप सचिव(विधि)